

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व ~~कलेक्टर~~ मंडल ग्वालियर,
जिला-जबलपुर, म०प्र०

रा.अ.प्र.कं.- अपील-5883/2018/कटनी/भू.२५०

अपीलार्थी:-

ए.बी. बिल्डफेम प्राइवेट लिमिटेड, द्वारा श्री
ए०के०शर्मा, आत्मज श्री वाई०के०शर्मा, निवासी-
विरुद्ध

उत्तरार्थी:-

मध्यप्रदेश शासन

अपील अंतर्गत धारा 44(1) म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959

अपीलार्थी विनय पूर्वक निवेदन करते हैं कि:-

अपीलार्थी की ओर से उपरोक्त अपील विचारण न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय, कटनी, जिला-कटनी द्वारा रा.प्र.कं. 09/अ-25/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 08/05/2018 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है।

अपील के तथ्य

1. यह कि, अपीलार्थीगण उपरोक्त पते का निवासी है और ए.बी. बिल्डफेम प्राइवेट लिमिटेड, में उपरोक्त कार्य के लिये अधिकृत किया गया है।
2. यह कि, अपीलार्थी द्वारा कंपनी की ओर से अधिकृत होकर ग्राम संसारपुर, प.ह.नं. 77, रा.नि.मं. स्लिमनाबाद, तहसील बहोरीबंद, स्थित खसरा नंबर-1030/1, 1030/2, 1034 कुल रकवा 2.26 हेक्टेयर, आवेदक के भूमिस्वामी हक की भूमि के बदले शासकीय भूमि ख.नं. 283, 287, 290, 310, 313 कुल रकवा 2.40 हेक्टेयर, भूमि तबादले में दिये जाने की मांग की गइरजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से खरीदा गया। और उसके द्वारा नामांतरण कर दर्ज



Not press.
25-9-18

14


667

श्री ए०के०शर्मा
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार शीठर (राजस्व मंडल)
05 SEP 2018
अधीशक
कार्यालय कमिश्नर जबलपुर संभाग

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील/5883/2018/कटनी/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाक्तों आदि के हस्ताक्षर
5-10-18	<p>अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री राजेश कुमार खरे उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण आगे न चलाने का अनुरोध किया गया है। अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। विचारोपरांत प्रकरण आगे न चलाने के कारण प्रकरण (नोट प्रेस) में समाप्त किया जाता है।</p> <p> सदस्य</p>	